राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	प्रभु देवी बनाम भैरुराम 1525/2025 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 22	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.9.25	कार्यालय रिपोर्ट होकर पत्रावली आज पेश हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर करे। अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। अधिवक्ता की बहस प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशिका दिनांक 30/05/2025 के द्वारा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान नही की गयी, तत्पश्चात अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 19/08/2025 पारित करते हुए प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी को क्षेत्राधिकार से बाहर होना धारित करते हुए ख़ारिज किये जाने में क़ानूनी त्रुटी कारित की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मात्र तहसीलदार की तमील नही हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों का संज्ञान लिये बगैर एवं क़ानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 19/08/2025 पारित करते हुए प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी को ख़ारिज किये जाने में तथ्यात्मक एवं क़ानूनी त्रुटी कारित की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश की आड़ में रेस्पो. विवादग्रस्त भूमि से अपीलार्थी को बेदखल करने पर आमादा हो रहे है, जिससे अपीलार्थी को अपूर्तनीय क्षति कारित हो रही है। अत: विवादग्रस्त भूमि की मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश फरमाये जावे। अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में पत्रावली का मय अपीलाधीन आदेश अवलोकन किये जाने से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 151 जाब्ता दीवानी पर पारित आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष केवल मात्र 2 पक्षकारो की तामील होना शेष है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19/08/2025 में कोई हस्तक्षेप नही करते हुये प्रकरण इसी स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे व्यवहार प्रक्रियां संहिता के आदेश 39 नियम 03 के प्रावधानों का अनुसरण करते हुये 1 माह में दोनों पक्षों की सुनवाई कर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का युक्तियुक्त निस्तारण करे। अपीलार्थी को जरिये अधिवक्ता यह निर्देश दिये जाते है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नियत आगामी पेशी को अनिवार्य रूप से अपनी बहस करे। तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 10/09/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। 10.9.25 राजस्व अपील प्राधिकारी	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर